"DHARTI PARADISE"

LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 146/105,148/105 VILLAGE BASNI BAGELA AT JODHPUR

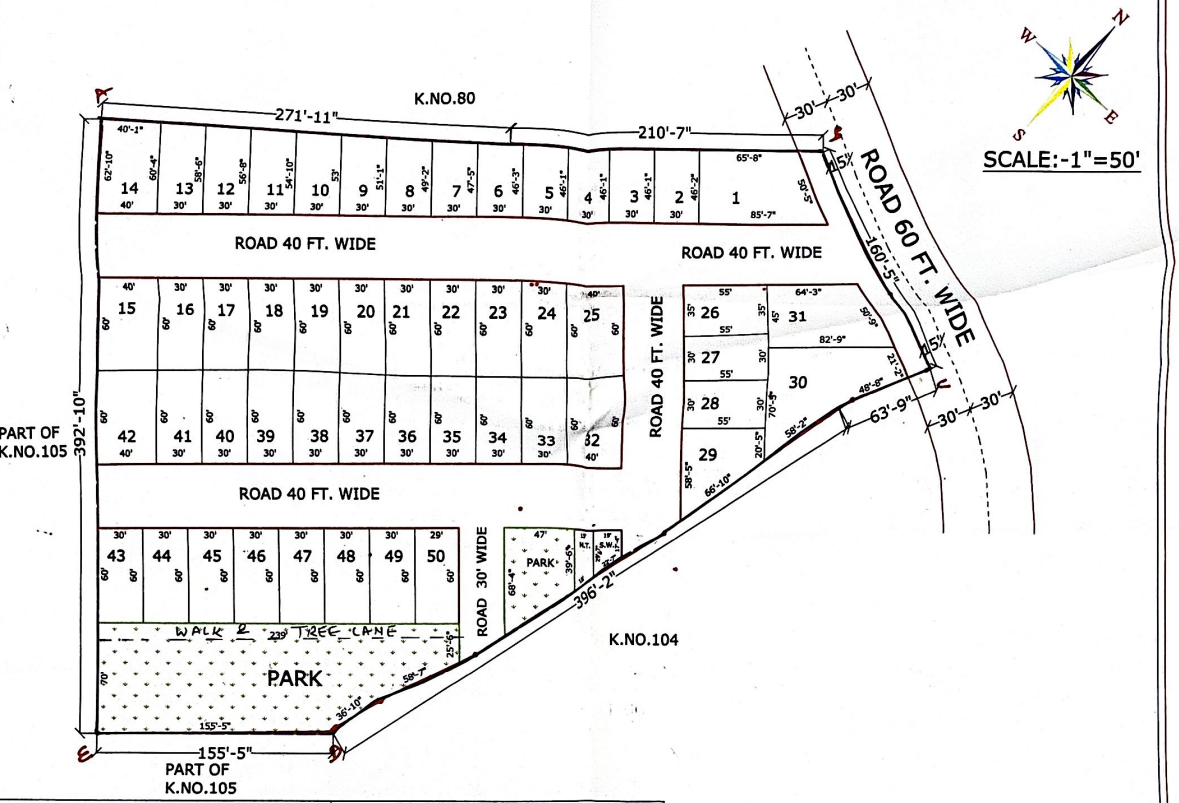

LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	10541.75	59.97 %
PARK AREA	1909.05	10.86 %
M.T./S.W.D. AREA	106.83	00.61 %
ROAD AREA	5021.25	28.56 %
TOTAL SCHEME AREA	17578.88	100.00 %

Area in Bigha. = 09 Bigha , 1 Bishwa , 12 BISHWANSHI

GOOGLE MAP OF KHASRA NO. 105 VILLAGE BASNI BAGELA AT JODHPUR

KHASRA MAP

NOT TO SCALE

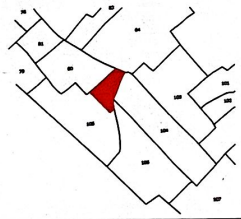

KEY PLAN

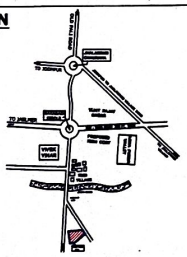

LUA आवेदन क्रमांक LL20121200/23-24/101840
दिनांक 5/4/13 में भूमि उपयुक्त महोदय (,
(R) के आदेश दिनांक 13/4/23 की पालना में राजस्व
ग्राम Basni/बासनी के खसरा नम्बर 146/105, 148/105
क्षेत्रफल — मेसे 09-01-12 बीघा के प्रस्तुत के
आवेदन पत्र को स्वीकृति क्रमांक 23/2024/21 के द्वारा स्वीकृति
नक्शा P.30 क्रमांक 8-1 दिनांक 23/3/23 के निर्णय
पर परिभाषी को नगर सरकारी के मार्ग A to E विकास
मानक सुदृढ़ प्रावधान/पंजीकृत सत्यापन किया गया।

दिनांक 1/5/23

निदेशक (भू.प्र.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

चनाराम
जालाराम
बरमाराम
जोराराम
(छंगीलाल)
(नाथूराम)

एजेण्डा संख्या 05 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
29.08.2023	जोन–2	बासनी बागेला	146/105 व 148/105	3.8931 हैक्टर में से 1.14679 है0	आवासीय योजना

आवेदक — श्री बादराराम, श्री जालाराम, श्री जोराराम पुत्रान् श्री सोनाराम एवं श्री बंशीलाल, श्री बिरमाराम, श्री धन्नाराम पुत्रान् श्री सकताराम

विषय— राजस्व ग्राम बासनी बागेला के खसरा संख्या 146/105 व 148/105 रकबा 3.8931 हैक्टर में से 1.14679 है0 में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

निर्णय— समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया–

1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना में से 00 फुट फुट मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
2. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन की दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
3. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की सूचना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें।
4. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 के कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपयुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य भूमि जोन स्तर पर ली जावें।
6. पत्र्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार भोवाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।
7. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एरिया में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड पट्टन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त पट्टन मुक्त किया जावेगा।
8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर विभागीकरण करवाना ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें।
9. खसरा प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रकरणिक, वाद, अपील एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रस्तुत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

18/9/23
सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

18/9/2023
नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

SH. PRITHVI RAJ
LICENCE No. JDA/TECH./2021/07
Plot No. 66, Laxmi Vihar
Kudi Bhagtasani, Jodhpur
(M) 9414134639, 9950780333